

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के
आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु पारित
प्रशासनिक आदेश संख्या 115/2020

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पत्रांक पीएस (आरजी)/36/2020: इलाहाबाद: दिनांकित मार्च 28, 2020 इस आशय का प्रेषित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा SUO MOTU WRIT PETITION (CIVIL) NO. (S). 3/2020 IN RE: COGNIZANCE FOR EXTENSION FOR LIMITATION में दिनांक 23.03.2020 को पारित किये गये आदेश का पूर्ण अनुपालन कराया जाय।

उक्त पत्र के साथ संलग्न माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का इस आशय का उल्लेख है कि "This court has taken suo motu cognizance of the situation arising out of the challenge faced by the country on account of COVID-19 virus and resultant difficulties that may be faced by litigants across the country in filing their petitions/ applications/ suits/ appeals/ all other proceedings within the period of limitations prescribed in the general law of limitation or under special laws (both Central and/or State).

To obviate such difficulties and to ensure that lawyers/litigants do not have to come physically to file such proceedings in respective courts/tribunals across the country including this court, it is hereby ordered that a period of limitation in all such proceedings, irrespective of the limitation prescribed under the general law or special laws whether condonable or not shall stand extended w.e.f. 15th March, 2020 till further order/s to be passed by this court in present proceedings.

We are exercising this power under Article 142 read with Article 141 of Constitution of India and declare that this order is a binding order within the meaning of Article 141 on all courts/tribunals and authorities.


This order may be brought to the notice of all High Courts for being communicated to all subordinate courts/tribunals within their respective jurisdiction".



(02)

तदनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय ने सम्पूर्ण भारत वर्ष में वादकारियों द्वारा संस्थित की जाने वाली याचिकाओं/प्रार्थना पत्रों/वादों/अपीलों/अन्य समस्त कार्यवाहियों को संस्थित किये जाने की अवधि को दिनांक 15.03.2020 से प्रभावी करके माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही अग्रिम आदेश पारित किये जाने तक की तिथि तक विस्तारित कर दिया है।

इस आदेश को जनपद न्यायालय, आजमगढ़ में कार्यरत न्यायिक अधिकारीगण के मध्य अविलम्ब परिचालित किया जाय तथा इसकी एक प्रति जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर अविलम्ब चस्पा की जाय।

 28-3-2020

(प्रमोद कुमार शर्मा)

जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़,


दिनांक: मार्च 28, 2020

संख्या: 504(A)/प्रथम,

दिनांक: मार्च 28, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. जिलाधिकारी, आजमगढ़,
02. अध्यक्ष/मंत्री, दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ, आजमगढ़,
03. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़ को ऐसे समाचार-पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित जो कि जनपद आजमगढ़ में सर्कुलेशन में हो ताकि इसकी जनसामान्य को जानकारी हो सके।

 28-3-2020

(प्रमोद कुमार शर्मा)

जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़,